तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/5/17	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। P.O. साहब राजस्व लोक अदालत कैम्प - मोंगेपुरा में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7.6.17 को पेश हो।
7/6/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र रोधई पर पेश हुई। गैरसायल नं. 1 व 3 उपस्थित अन्य उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते तलबी गैरसायलान नं. 3, 6 से 12, 14 से 16 दिनांक 30/6/17 को पेश हो।
मूर। 30/6/17	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। गैरसायल नं. 3 उपस्थित नहीं। कई आवाजें दिलाई गई लेकिन उपस्थित नहीं आया। अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। गैरसायल नं. 4 ता 12, 14 ता 16 की तलबी सायलान द्वारा कई अवसर मिलने के बाद तलबाना नोटिस प्रस्तुत नहीं करने से बन्द की जाती है। बहस वकील फरीकैन सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील फरीकैन विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने को सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान आंशिक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को ताफैसला वादपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख.नं. 377 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा मौजा व राजस्व ग्राम - चन्देली तहसील मण्डरायल के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी (करौली)